सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-1)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियम अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरडीटीएल, गुवाहाटी, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजी जाएं।

संलग्नक: यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार,

दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	05* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 1	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लाहौल संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती करने की स्थिति में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
मैट्रिक या उसके समकक्ष उत्तीर्ण वांछनीय: किसी प्रयोगशाला में (परिचर/सैम्पल ओपनर) के तौर पर एक वर्ष का अनुभव	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

प्रतिशतता			
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए जाने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाए; (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारक या (ii) लेवल-01 या समकक्ष में दो / चार वर्ष की नियमित सेवा	लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण/प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1 निदेशक, क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला गुवाहाटी --- अध्यक्ष 2 उप औषध नियंत्रक (भारत) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (ईस्ट जोन), -- सदस्य 3 उप निदेशक प्रशासन (औषध) -- सदस्य 3. अन्य कोई भी समूह 'क' अधिकारी, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला-- सदस्य	लागू नहीं

[फा.सं. ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-1)]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार